न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :—13/2025
निर्णय दिनांक :—20.11.2025
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. जमना देवी पुत्री श्री गंगाराम जाति लक्षकार निवासी ग्राम लालापुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जानकी पुत्री बजरंगलाल
2. निर्मला पुत्री बजरंगलाल
3. प्रहलाद पुत्र बजरंगलाल
4. मनफूली देवी पत्नि बजरंगलाल
5. श्रवणलाल पुत्र बजरंगलाल
6. सुरज्ञान पुत्री बजरंगलाल
   समस्त जाति मीणा निवासी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
7. आचूकी देवी पुत्री ग्यारसीलाल जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर, तहसील फागी जिला जयपुर राज0।
8. नाथुराम पुत्र नृसिंह जाति गुर्जर निवासी देवनगर तहसील फागी।
9. फातमा पत्नि नजीरखां जाति मुसलमान निवासी देवनगर तहसील फागी।
10. भंवरलाल पुत्र सुरजकरण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
11. मंगी देवी पत्नि हनुमान जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
12. श्रमजीबानों पत्नि ईदखा जाति मुसलमान निवासी देवनगर तहसील फागी।
13. रसूलखां पुत्र करीमाखां जाति मुसलमान निवासी देवनगर तहसील फागी।
14. रामचरण पुत्र सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
15. रामदेव पुत्र सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
16. रामरतन पुत्र सुरजकरण जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
17. सीता देवी पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी सेवा की ढाणी देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

18. कमरूदीन पुत्र ईदूखां
19. खेरूनिसा पुत्र नजीर खा
20. नजमा पुत्री नजीर खां
21. फातमा पत्नि नजीर खां
22. बागुजास्ता पुत्र नजीर खां
23. मेहरून पुत्र नजीर खां
24. मो. ईस्माइल पुत्र ईदूखां
25. रूखसाना पुत्री ईदूखां
26. रफीक पुत्र नजीर खां
27. रगजी बेगम पत्नि ईदूखां
28. रेषमा पुत्री नजीर खां
29. रेहाना पुत्री नजीर खां
30. रहिम पुत्र नजीर खां
31. रहिस पुत्र नजीर खां
32. शकील उर्फ इरफान पुत्र ईदूखा
33. शमषुद्दीन मंसुरी पुत्र ईदूखां
34. शरफृदीन पुत्र ईदूखां
35. सलमा पुत्री ईदूखां
36. सलमा पुत्री नजीर खां

समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री सत्यदेव सिंह नरूका वकील प्रार्थी
श्री सीताराम सैनी वकील अप्रार्थीगण1
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं. 7, 8

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 एल.आर.एक्ट बाबत् मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी आदेश फरमायें जाने बाबत्

निर्णय दिनांक :–20.11.2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 231 के खसरा नं. 647/1 रकबा 2.0232 हैक्टेयर, खतौनी सं. 52 के खसरा नं. 647/2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में खातेदार काष्तकार होकर मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काष्त है। प्रार्थीया की उपर्युक्त वर्णित भूमि के लगवा खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
फागी

646/1, 646/2, 646/3 के खातेदार अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जे काष्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीया ने उक्त आराजी भूमि का विधिवत रूप से तहसीलदार फागी के आदेष क्रमांक भू0अभि0/24/2803 दिनांक 11.06.2024की पालना में दिनांक 14/06/2024 को पटवारी हल्का लदाना से सीमाज्ञान करवाया गया । पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजन्च नक्षें के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2024 को पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार गहोदय फागी को प्रस्तुत की लेकिन उक्त सीमाज्ञान होने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगे तथा अब उक्त सीमाज्ञान के समय कायम किये गये निशानातं को अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन हटाने पर आमदा है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि प्रार्थीया की उक्त भूमि की सीमाओं व मेर कोर का विवाद समाप्त हो एवं प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सकें उक्त विवाद के निस्तारण हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को भी अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थीया की उपरोक्त आराजीयात के कब्जे काश्त मे आये दिन मजागहत करते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी है।तहसीलदार फागी के आदेश कमांक भू०अभि०/24/2803 दिनांक 11/06/2924 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 14/06/2024 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा प्रार्थीया से आये दिन नेर–कोर को लेकर लडाई–झगडा करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीया को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीभाज्ञान दिनांक 14/06/2024 के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। विवादग्रस्त आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त धारण में पत्थरगढ़ी के आदेश करने का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगातय 6 की ओर से वकील श्री सीताराम सैनी ने वकालतनामा तथा जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 7 लगायत 37 बाद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए। अप्रार्थी सं0 7 लगायत 37 के विरूद्ध दिनांक 02.05.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6

उक्त आराजीयात का तकासमा खातेदारों की सहमति से होकर तरमीम हुई है लेकिन अभी हाल ही में राज्य सरकार की डीआईआरएलएमपी योजना में गलत तरमीम होने से बिना किसी विधिवत आदेश के ही प्रार्थीया ने राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर गलत तरमीम करवा ली। प्रार्थीया ने गलत तरमीम के आधार पर ही दिनांक 14.06.2024 को बिना अप्रार्थीगण को सूचना दिये ही एवं बिना सहमति के ही एकतरफा सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर तहसीलदार फागी से सीमाज्ञान करवाया है जो प्रार्थीया ने अपनी मनमर्जी से करवाया है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2024 के आधार पर अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती हैं

उपखण्ड अधिकारी
फागी

परन्तु वादग्रस्त आराजी की गलत तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान ही पक्षकारों की मौजूदगी व बिना सहमति के किया गया है तो अकेले प्रार्थीया को पत्थरगढी करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, प्रार्थीया ने गलत तरमीम व गलत सीमाज्ञान के आधार पर अवैधानिक तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व अन्य पडौसी खातेदारों को सूचना दिये बिना ही चुपचाप रेवन्यू ऐजेन्सी से मिलकर दिनांक 14.06.2024 कोएकतरफा सीमाज्ञान करवाकर उक्त प्रार्थना पत्र बिना आधारों के प्रस्तुत किया है जो प्रथम स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का उक्त आराजीयात पर मौके पर सीमाज्ञान अनुसार कब्जा काश्त नहीं है। ख.न. 646/1 की भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। उक्त सीमाज्ञान मौके पर कब्जेनुसार व रिकार्डनुसार नहीं किया गया है बल्कि प्रार्थीया ने रेवन्यू टीम से मिलीभगत कर बिना मौके पर कब्जे के ही गलत तरमीम के आधार पर एकतरफा सीमाज्ञान बिना पक्षकारों को सूचना दिये ही एवं बिना सुनवाई किये ही उक्त आराजी का सीमाज्ञान गलत कर दिया है एवं आवश्यक प्रभावित खातेदारों को बिना पक्षकार कायम किये ही उक्त प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये मान्य न्यायालय में पेश किया है जो विधि विरूद्ध है, इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होने व नैसृगिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रथम स्तर पर ही काबिले खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया की कितनी भूमि कब्जे में है या कितनी भूमि पर अन्य सहखातेदारों का कब्जा है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अकेले पत्थरगढ़ी की कार्यवाही का अनुतोष प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त ही नहीं है। प्रश्नगत आराजी की बिना विधिवत तरमीम के एकतरफा बनाई गई गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 के आधार पर प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो पडौसी काश्तकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा जिससे वह अपने हक व हिस्से से वंचित हो जायेंगे, इसलिये बिना पक्षकारों की सहमति के बगैर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायसंगत नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का वाक्या उत्पन्न नहीं होने के अभाव में प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित है।

काउन्टर क्लेम

आराजी खसरा नम्बर 646/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि वाके ग्रामदेवनगर पटवार हल्का लदाना तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर अपनी जमीन का विधिक्त तकासमा करवाकर आराजी के चारों तरफ हदूद कायम कर अपनी कृषि भूमि को विकसित कर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीया की भूमि के लगवा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि स्थित होने से प्रार्थीया ने बिना मौके पर कब्जा के ही रेवन्यू एजेन्सी से सांठगांठ कर गलत तरमीम के आधार पर एकतरफा सीमाज्ञान आदेश प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मौजूदा शक्ल में चलने योग्य नहीं होने से प्रथम स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या लगायत ने अपनी भूमि के चारों तरफ सीमा चिन्ह कायम कर रखे हैं एवं मौके पर हदूद कायम कर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने अपनी आराजी का विधिवत तकासमा करवा लिया है लेकिन प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी भूमि का बिना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 तथा अन्य प्रभावित पडौसी खातेदारों को सूचित किये बिना ही एकतरफा सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है जिसका प्रार्थीया को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत तरमीम व बिना पक्षकारों की सहमति व बिना हस्ताक्षर के करवाये गये एकतरफा सीमाज्ञान के आधारा पर पोषणीय नहीं होने से प्रथम स्तर पर ही प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमाया जाना न्यायोचित है। उक्त काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को बखूबी प्राप्त है।

अतः जवाब–प्रार्थना–पत्र मय काउन्टर क्लेम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत तरमीम व गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट होने के आधार पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 646/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि का पुनः तहसीलदार फागी की उपस्थिति में रेवन्यू टीम गठित कर सीमाज्ञान करते हुये मुताबिक तकासमा, मौके पर कब्जा व राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार पत्थरगढ़ी मय पुलिस इमदाद में पक्षकारान् की मौजूदगी में करवाई जाने के आदेश फरमाया जावे।

जवाब काउन्टर क्लेम

खसरा नम्बर 646/1 की भूमि ग्राम देवनगर में स्थित होने का तथ्य मात्र आंशिक रूप से स्वीकार हैं शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण ने काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नहीं किये जाने से काउन्टर क्लेम प्रथमतया ही खारिज फरमाया जावें।

अतः अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम किंसी भी प्रकार से कानूनन पोषणीय नही होने से प्रथमतया ही खारिज फरमाया जाने योग्य हैं एवं प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 की भूमि खसरा नम्बर 646/1 पत्थरगढी आदेश किसी प्रकार से कानूनन नहीं किये जा सकते।

बहस

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 – 2073 वाके ग्राम देवनगर खाता सं0 231 व 52 में प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार है। उक्त विवादित आराजीयात का पूर्व मे दिनांक 14.06.2024 को तहसीलदार फागी द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 मे वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
फागी

14.06.2024 को नही मानकर प्रार्थीया के कब्जेकाश्त मे मजाहमत करते है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 ने अपने जबाब मे उक्त विवाददित आराजीयात पर कब्जा नही होने का कथनं किया है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेंज प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 मे अंकित किया है कि उक्त आराजी पर ई0टी0एस मशीन से सीमाज्ञान किया जाकर निशानात कायम किये गये है। अप्रार्थीगण अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने असफल रहे है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 647 / 1 रकबा 2.0232 व ख0न0 647 / 2 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम देवनगर तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.06.2024 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

सत्यमेव जयते